E-Mail ID cfgarhwalp@gmail.com, cfgarhwal555@gmail.com, Phone/Fex 01368-222566

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांकः– 1611 / 12-1 दिनांक, पौड़ी, 12/02/ ,2024.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय– जनपद–रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत चोपड़ा उड़ामाण्डा (पी0एम0जी0एस0वाई0) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्वाड़) होते हुये बैंजी काण्डई (अनु0 बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.350 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में। **PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/155241/2022**

सन्दर्भ– दिनांक 30.10.2023 को हुई FRCM की बैठक में लिये गये निर्णय एवं आपका पत्रांक –927 / 1जी–5095(रा0रा0प्रा0) दिनांक 09.11.2023.

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक 2455 / 12–1(2) दिनॉक 31.01.2023 से अवगत कराया गया है कि दिनांक 30.10.2023 को सम्पन्न FRCM की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार प्रकरण में वांछित सूचना निम्न प्रकार प्रेषित है–

क्र	भारत सरकार द्वारा चाही सूचना	आख्या
1	After detailed discussion, it was decided that the DFO may visit the site along with the local engineer and geologist. They may reexamine that steep slope and explore alternate to avoid steep forest area which is above the proposed alignment.	प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक 2455 / 12–1(2) दिनॉक 31.01.2023 से अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण का वन विभाग, प्रस्तावक विभाग एवं भू–वैज्ञानिक के साथ दिनांक 09.01.2024 को मौके पर स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के पश्चात् उप निदेशक / भूवैज्ञानिक रुद्रप्रयाग एवंचमोली ने उनके पत्रांक–1052 / भू0ख नि0वि0 / रु0 / मोटर मार्ग / 2023–24 दिनांक 24.01.2024 के द्वारा प्रकरण की भू–वैज्ञानिक आख्या / रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, (संलग्न–1) जिसमें उनके द्वारा निम्न शर्तो का उल्लेख किया गया है– 1. मोटर मार्ग कटान में सीमित स्ट्रैंथ के विस्फोटकों का कम से कम प्रयोग किया जाय। 2. कटान किये जाने के बाद कटान किये गये भाग के ऊपरी व निचले ढाल पर स्थल की भार ग्राह्य क्षमता के अनुसार तत्काल सुरक्षा धारक दीवार निर्माण किया जाना होगा। 3. सम्पूर्ण मोटर मार्ग कटान भाग से पक्की नालियों का निर्माण किया जाना होगा व एकत्रित जल का सुरक्षित निस्तारण क्षेत्र से दूर सुरक्षित स्थल पर सुनिश्चित किया जाना होगा। 4. कटान किये जाने से उत्सर्जित मलवे / अवसाद को निर्धारित डम्पिंग जोन में निस्तारित किया जाना होगा। **"उपरोक्त वर्णित सुरक्षात्मक सुझाव एवं शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने की दशा में प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति को छोड़कर सन्दर्भित स्थल प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु भूगर्भीय दृष्टिकोण से उपयुक्त प्रतीत होता है"।**

क्रमशः पेज 02 पर

JAIDEEP

Scanned with CamScanner

E-Mail ID cfgarhwalp@gmail.com, cfgarhwal555@gmail.com, Phone/Fex 01368-222566

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रुद्रप्रयाग ने अपने पत्रांक–243/16सी0 दिनांक 25.01.2024 के द्वारा निम्न प्रकार अवगत कराया गया–

(A)-ग्राम बैंजी काण्डई के समीप एक मोटर मार्ग निर्मित है, परन्तु मोटर मार्ग से बैंजी काण्डई गांव की एलवेशन दूरी 115 मीटर है। शासन के पत्रांक–167/।।।(2)/18–15(सामान्य)/2018 दिनांक 31.12.2018 **(संलग्न–2)** द्वारा प्राख्यापित सड़क मार्ग नीति के बिन्दु संख्या–4 के अनुसार मार्ग से 100 मीटर की वर्टिकल दूरी तक स्थित गांव /बसावट को ही मोटर मार्ग से संयोजित माना जाता है। विषयगत प्रकरण में गांव 100 मीटर से अधिक वर्टिकल दूरी पर स्थित है। अतः ग्राम बैंजी काण्डई मोटर मार्ग से असंयोजित है।

(B)-एजेंडा 2 में यह इंगित किया गया है कि "it was seen that there is a slope of around 55-60 in the starting point of forest patch of the road which appear vulnerable to erosion and may lead to rolling down of muck." बिन्दु पर स्थिति स्पष्ट करने हेतु भू–वैज्ञानिक द्वारा दिनांक 23.01.2024 को निरीक्षण किया गया एवं उनके द्वारा प्रस्तावित समरेखण पर निर्माण कार्य हेतु भूगर्भीय दृष्टिकोण से उपयुक्त पाया गया, भूगर्भीय आख्या सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है। **(संलग्न–1 के अनुसार)**

(C)-विषयगत मोटर मार्ग को रिज के ऊपर से निम्नलिखित कारणों से ले जाना सम्भव नहीं हैः–

1–समरेखण के आरम्भ बिन्दु में पानी की चरी, पंचायत घर, अस्थाई हैलीपेड एवं गॉव का प्राचीन कार्तिक स्वामी का मन्दिर स्थित है। उक्त के अतिरिक्त रिज पर ग्रामीणों के आवासीय भवन एवं परिसम्पत्तियां निर्मित हैं, सुलभ सन्दर्भ हेतु फोटोग्राफ संलग्न। **(संलग्न–3)**

2–उक्त इंगित बिन्दु 1 को दृष्टिगत रखते हुये समरेखण को रिज के नीचे से होते हुये उसी समरेखण को प्रस्तावित किया जा रहा है, जिस पर तकनीकी रूप से मार्ग निर्माण हेतु वाछित न्यूनतम ग्रेड प्राप्त किया जा सके एवं न्यूनतम वनभूमि प्रभावित हो सके। स्थिति स्पष्ट करने हेतु फोटोग्राफ संलग्न। **(संलग्न–4)**

उक्त के अतिरिक्त प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरोध किया गया है कि प्रकरण में वर्णित बिन्दुओं का संज्ञान लेते हुये मार्ग की वन भूमि स्वीकृति दिये जाने हेतु सहानुभूतिपूर्वक विचार कीजिएगा। यह गांव जनपद–रुद्रप्रयाग का सीमान्त गांव है। मोटर मार्ग की सुविधा न होने के कारण जनसामान्य को स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाओं के लिये अनेकानेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिस कारण इस गांव का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। उपरोक्त संलग्नक पार्ट–। के Additional information detailके क्र0सं0–37 एवं 38 में ऑनलाईन अपलोड किये गये हैं।

इस संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी का मत है कि उपरोक्त क्रम में प्रस्तावित संरेखण उपयुक्त प्रतीत होता है, परन्तु भूगर्भीय वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित समस्त सुरक्षात्मक उपाय का संबंधित प्रस्तावक विभाग द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अतः उपरोक्त प्रकरण में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

JAIDEEP

Scanned with CamScanner

ई. मेल :- dforudraprayag @gmail.com
फोन / फैक्स नं0 :- 01364 – 233505::
पता –: माई की मढ़ी निकट जवाडी बाईपास रूद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक– 2455 / 12-1(2) दिनांक 31/01 /2024::

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय :- जनपद–रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत चोपड़ा उड़ामाण्डा (पी0एम0जी0एस0वाई0) मोटर मार्ग से बनवालधार (जरम्वाड़) होते हुये बैंजी काण्डई (अनु0 बस्ती) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.350 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में। **PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/155241/2022**

सन्दर्भ :- दिनांक 30.10.2023 को हुई FRCM की बैठक में लिये गये निर्णय एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून की पत्र संख्या–927 / 1जी–5095(रा0रा0प्रा0) दिनांक 09.11.2023।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में दिनांक 30.10.2023 को सम्पन्न FRCM की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार प्रकरण में वांछित सूचना निम्न प्रकार प्रेषित है–

क्र.सं.	आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1	After detailed discussion, it was decided that the DFO may visit the site along with the local engineer and geologist. They may reexamine that steep slope and explore alternate to avoid steep forest area which is above the prposed alignment.	प्रश्नगत प्रकरण का वन विभाग, प्रस्तावक विभाग एवं भू–वैज्ञानिक के साथ दिनांक 09.01.2024 को मौके पर स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के पश्चात् उप निदेशक / भूवैज्ञानिक रुद्रप्रयाग एवं चमोली ने उनके पत्रांक–1052 / भू0खनि0वि0 / रु0 / मोटर मार्ग / 2023–24 दिनांक 24.01.2024 के द्वारा प्रकरण की भू–वैज्ञानिक आख्या / रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, (संलग्न–1) जिसमें उनके द्वारा निम्न शर्तों का उल्लेख किया गया है– 1. मोटर मार्ग कटान से सीमित स्ट्रैंथ के विस्फोटकों का कम से कम प्रयोग किया जाय। 2. कटान किये जाने के बाद कटान किये गये भाग के ऊपरी व निचले ढाल पर स्थल की भार ग्राह्य क्षमता के अनुसार तत्काल सुरधा धारक दीवार निर्माण किया जाना होगा। 3. सम्पूर्ण मोटर मार्ग कटान भाग से पक्की नालियों का निर्माण किया जाना होगा व एकत्रित जल का सुरक्षित निस्तारण क्षेत्र से दूर सुरक्षित स्थल पर सुनिश्चित किया जाना होगा। 4. कटान किये जाने से उत्सर्जित मलवे / अवसाद को निर्धारित डम्पिंग जोन में निस्तारित किया जाना होगा। **"उपरोक्त वर्णित सुरक्षात्मक सुझाव एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने की दशा में प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति को छोड़कर सन्दर्भित स्थल प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु भूगर्भीय दृष्टिकोण से उपयुक्त प्रतीत होता है"।** अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रुद्रप्रयाग ने उनके पत्रांक–243 / 16सी0 दिनांक 25.01.2024 के द्वारा निम्न प्रकार अवगत कराया गया (A)-ग्राम बैंजी काण्डई के समीप एक मोटर मार्ग निर्मित है, परन्तु मोटर मार्ग से बैंजी काण्डई गांव की एलवेशन दूरी 115 मीटर है। शासन के पत्रांक–167 / III(2) / 18–15(सामान्य) / 2018 दिनांक 31.12.2018 **(संलग्न–2)** द्वारा प्राख्यापित सड़क मार्ग नीति के बिन्दु संख्या–4 के अनुसार मार्ग से 100 मीटर की वर्टिकल दूरी तक स्थित गांव /बसावट को ही मोटर मार्ग से संयोजित माना जाता है। विषयगत प्रकरण में गांव 100 मीटर से अधिक वर्टिकल दूरी पर स्थित है। अतः ग्राम बैंजी काण्डई मोटर मार्ग से असंयोजित है।

क्रमशः–2 पर

क्र.सं.	आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1	________//__________	(B)-एजेंडा 2 में यह इंगित किया गया है कि "it was seen that there is a slope of around 55-60 in the starting point of forest patch of the road which appear vulnerable to erosion and may lead to rolling down of muck." बिन्दु पर स्थिति स्पष्ट करने हेतु भू–वैज्ञानिक द्वारा दिनांक 23.01.2024 को निरीक्षण किया गया एवं उनके द्वारा प्रस्तावित समरेखण पर निर्माण कार्य हेतु भूगर्भीय दृष्टिकोण से उपयुक्त पाया गया, भूगर्भीय आख्या सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है। **(संलग्न–1 के अनुसार)** (C)-विषयगत मोटर मार्ग को रिज के ऊपर से निम्नलिखित कारणों से ले जाना सम्भव नहीं हैः– 1–समरेखण के आरम्भ बिन्दु में पानी की चरी, पंचायत घर, अस्थाई हैलीपेड एवं गॉव का प्राचीन कार्तिक स्वामी का मन्दिर स्थित है। उक्त के अतिरिक्त रिज पर ग्रामीणों के आवासीय भवन एवं परिसम्पत्तियां निर्मित हैं, सुलभ सन्दर्भ हेतु फोटोग्राफ संलग्न। **(संलग्न–3)** 2–उक्त इंगित बिन्दु 1 को दृष्टिगत रखते हुये समरेखण को रिज के नीचे से होते हुये उसी समरेखण को प्रस्तावित किया जा रहा है, जिस पर तकनीकी रूप से मार्ग निर्माण हेतु वाछित न्यूनतम ग्रेड प्राप्त किया जा सके एवं न्यूनतम वनभूमि प्रभावित हो सके। स्थिति स्पष्ट करने हेतु फोटोग्राफ संलग्न। **(संलग्न–4)** उक्त के अतिरिक्त प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरोध किया गया है कि प्रकरण में वर्णित बिन्दुओं का संज्ञान लेते हुये मार्ग की वन भूमि स्वीकृति दिये जाने हेतु सहानुभूतिपूर्वक विचार कीजिएगा। यह गांव जनपद–रुद्रप्रयाग का सीमान्त गांव है। मोटर मार्ग की सुविधा न होने के कारण जनसामान्य को स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाओं के लिये अनेकानेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिस कारण इस गांव का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। उपरोक्त संलग्नक पार्ट–। के Additional information detail के क्र0सं0–37 एवं 38 में ऑनलाईन अपलोड किये गये हैं। इस संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी का मत है कि उपरोक्त क्रम में प्रस्तावित संरेखण उपयुक्त प्रतीत होता है, परन्तु भूगर्भीय वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित समस्त सुरक्षात्मक उपाय का संबंधित प्रस्तावक विभाग द्वारा कढ़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अभिमन्यु)
उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

संख्या –   /दिनांकित।

प्रतिलिपि :– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रुद्रप्रयाग को उनके उक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(अभिमन्यु)
उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

PWD
UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग,
रूद्रप्रयाग

उत्तराखण्ड शासन

Website-http://pwd.uk.gov.in Fax: 01364-233204, E-mail ID: eepwd_rpg@rediffmail.com

पत्र संख्या -243 /16स्था० दिनांक 25/01/2024

सेवा में,

उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग।

विषय– **Agenda Item No.l 01 Diversion of 0.35 ha of forest land for constreuction of Bandwaldhar Jarmwar to Bainji Kandai Motor Road in favour of PWD, within the jurisdiction of Rudraprayag Forest Division, District Rudraprayag, Uttarakhand (Proposal No. FP/UK/Road/155241/2022)।**

सन्दर्भ– भारत सरकार की दिनांक 30.10.2023 को हुई **FRCM** की बैठक एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 927/1जी–5095(रा0रा0प्रा0) देहरादून, दिनांक 09.11.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में एवं आपके कार्यालय में दिनांक 20.01.2024 को हुई समीक्षा बैठक के क्रम में सन्दर्भित पत्र द्वारा चाही गयी आख्या बिन्दुवार निम्नलिखित है–

क्र0	आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1	After detailed discussion, it was decided that the DFO may visit the site along with the local engineer and geologist. They may reexamine that steep slope and explore alternate to avoid steep forest area which is above the prposed alignment.	(A)-ग्राम बैंजी काण्डई के समीप एक मोटर मार्ग निर्मित है, परन्तु मोटर मार्ग से बैंजी काण्डई गांव की एलवेशन दूरी 115 मीटर है। शासन के पत्रांक 167/III(2)/18–15(सामान्य)/ 2018 दिनांक 31.12.2018 द्वारा प्राख्यापित सडक मार्ग नीति के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार मार्ग से 100 मीटर की वर्टिकल दूरी तक स्थित गांव /बसावट को ही मोटर मार्ग से संयोजित माना जाता है। विषयगत प्रकरण में गांव 100 मीटर से अधिक वर्टिकल दूरी पर स्थित है। अतः ग्राम बैंजी काण्डई मोटर मार्ग से असंयोजित है। (B)-एजेंडा 2 में यह इंगित किया गया है कि "itwas seen that there is a slope of around 55-60 in the starting point of forest patch of the road which appear vulnerable to erosion and may lead to rolling down of muck." बिन्दु पर स्थिति स्पष्ट करने हेतु भू–वैज्ञानिक द्वारा दिनांक 23.01.2024 को निरीक्षण किया गया एवं उनके द्वारा प्रस्तावित समरेखण पर निर्माण कार्य हेतु भूगर्भीय दृष्टिकोण से उपयुक्त पाया गया, भूगर्भीय आख्या सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है। (C)-विषयगत मोटर मार्ग को रिज के ऊपर से निम्नलिखित कारणों से ले जाना सम्भव नहीं है:– 1–समरेखण के आरम्भ बिन्दु में पानी की चरी, पंचायत घर, अस्थाई हैलीपेड एवं गॉव का प्राचीन कार्तिक स्वामी का मन्दिर स्थित है। उक्त के अतिरिक्त रिज पर ग्रामीणों के आवासीय भवन एवं परिसम्पत्तियां निर्मित हैं, सुलभ सन्दर्भ हेतु फोटोग्राफ संलग्न। 2–उक्त इंगित बिन्दु 1 को दृष्टिगत रखते हुये समरेखण को रिज के नीचे से होते हुये उसी समरेखण को प्रस्तावित किया जा रहा है, जिस पर तकनीकी रूप से मार्ग निर्माण हेतु वाछित न्यूनतम ग्रेड प्राप्त किया जा सके एवं न्यूनतम वनभूमि प्रभावित हो सके। रिथति स्पष्ट करने हेतु फोटोग्राफ संलग्न।

अतः नम्र निवेदन है कि उक्त वर्णित बिन्दुओं का संज्ञान लेते हुए मार्ग की वनभूमि स्वीकृति दिये जाने हेतु सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। यह गांव जनपद रूद्रप्रयाग का सीमान्त गांव है। मोटर मार्ग की सुविधा न होने के कारण जनसामान्य को स्वास्थ्य एवं शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं के लिए अनेकानेक समस्याओं का सामना करना पडता है, जिस कारण इस गांव का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

25-1-24

(इ0 इन्द्रजीत बोस)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग।

27/01/2024

संलग्नक -①

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग
रूद्रप्रयाग एवं चमोली।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रूद्रप्रयाग।

पत्रांक : 1052/भू०खनि०वि०/रू०/मोटर मार्ग/2023–24 दिनांक 24, जनवरी 2024

विषय : जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत वनवालधार जरम्वाड से बैंजी काण्डई मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध मे।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 111/ज0द0, दिनांक 11.01.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के क्रम मे जनपद रूद्रप्रयाग अन्तर्गत स्वीकृत वनवालधार से बैंजी काण्डई मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित समरेखण क्षेत्र का क्षेत्रीय भूगर्भीय निरीक्षण श्री संजीव सैनी, श्री संजय सैनी, सहायक अभियंता, श्री रजत नेगी, कनिष्ठ अभियंता, लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग तथा स्थानीय ग्रामवासियों की उपस्थिति मे किया गया, जिसकी भूगर्भीय निरीक्षण आख्या निम्नवत है :–

उक्त मोटर मार्ग के वन पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत 500 मीटर समरेखण भाग लगभग पूरब–पश्चिम विस्तारित पहाडी पर है, जिसका पहाडी ढाल 55^0 से 60^0 उत्तरवत् है। उक्त वर्णित समरेखण भाग मे विभिन्न स्थानों पर क्वार्टजाईट चट्टान के टुकडे मृदा के साथ अवस्थित है। उक्त समरेखण भाग मे मंगरी गैर के निकट स्लेटी क्वार्टजाईट की कठोर चट्टानें अवस्थित है, जिनकी विस्तार की दिशा उत्तर 70^0 पश्चिम व नति 30^0 उत्तर पूरबवत् है। ग्राम जरम्वाड के आवारीय भवनों के ऊपरी पहाडी ढाल पर कृषि भूमि के पश्चात मोटर मार्ग के अन्तिम भाग मे सफेद टेल्कोज शिष्ट चट्टान अवस्थित है, जिनकी विस्तार की दिशा उत्तर 40^0 पश्चिम व नति 40^0 उत्तर पूरबवत् है। क्षेत्रीय निरीक्षण के दौरान प्रश्नगत वन पंचायत भूमि क्षेत्रान्तर्गत समरेखण भाग मे भूस्खलन, भूधंसाव व जल रिसाव नही पाय गया।

वर्णित वन पंचायत क्षेत्रान्तर्गत समरेखण भाग मे पहाडी ढाल व प्रस्तावित मोटर मार्ग की सुरक्षा व स्थायित्व हेतु निम्नलिखित अभियांत्रिकी सुरक्षात्मक सुझाव एवं शर्तो का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा :–

1. मोटर मार्ग कटान मे सीमित स्ट्रेंथ के विस्फोटको का कम से कम प्रयोग किया जाय।
2. कटान किये जाने के बाद कटान किये गये भाग के ऊपरी व निचले ढाल पर स्थल की भार ग्राह्य क्षमता के अनुसार तत्काल सुरक्षा धारक दीवार निर्माण किया जाना होगा।
3. सम्पूर्ण मोटर मार्ग कटान भाग मे पक्की नालियों का निर्माण किया जाना होगा व एकत्रित जल का सुरक्षित निस्तारण क्षेत्र से दूर सुरक्षित स्थल पर सुनिश्चित किया जाना होगा।
4. कटान किये जाने से उत्सर्जित मलवे/अवसाद को निर्धारित डम्पिंग जोन मे निस्तारित किया किया जाना होगा।

उपरोक्त वर्णित सुरक्षात्मक सुझाव एवं शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने की दशा मे, प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति को छोडकर, सन्दर्भित स्थल प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु भूगर्भीय दृष्टिकोण से उपयुक्त प्रतीत होता है।

भवदीय,

(डा0 दीपक हटवाल)
उप निदेशक/भूवैज्ञानिक,
रूद्रप्रयाग/चमोली।

पृष्ठांक : /भू0खनि0वि0/रू0/मोटर मार्ग/2023–24, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, रूद्रप्रयाग।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म उद्योग, उद्योग निदेशालय, देहरादून।

उप निदेशक/भूवैज्ञानिक,
रूद्रप्रयाग/चमोली।

Scanned with CamScanner

संख्या : N/67/III(2)/18-16(सामान्य)/2018

संलग्नक (2)

संलग्न - 8

प्रेषक,

एस०एस० टोलिया,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण विभाग–2 देहरादून: दिनांक : 3/ दिसम्बर, 2018

विषय: लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मोटर मार्गों/सेतुओं के निर्माण की योजना/प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु नीति का प्रख्यापन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मोटर मार्गों/सेतुओं के निर्माण की योजना/प्रस्ताव तैयार किये जाने तथा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभागीय वार्षिक आय–व्ययक में प्राविधानित बजट को विभिन्न योजनाओं/मदों में विभाजित किये जाने के उद्देश्य से सम्यक विचारोपरान्त एतद्द्वारा निम्नवत नीति तत्काल प्रभाव से लागू की जाती हैं :–

(i) राज्य मार्गों, मुख्य जिला मार्गों एवं अन्य जिला मार्गों के मानकानुसार नवीनीकरण हेतु वर्तमान स्थिति के सापेक्ष लगभग 25% धनराशि पृथक से प्रत्येक वार्षिक बजट में प्राविधानित की जाय।

(ii) सड़क सुरक्षा हेतु वार्षिक बजट के आकार की 5% एवं पुलों के निर्माण तथा रख–रखाव के लिये वार्षिक बजट के आकार की 15% धनराशि वार्षिक बजट में प्राविधानित की जाय।

(iii) वार्षिक बजट की शेष धनराशि लगभग 55% नवनिर्माण एवं ग्रामीण मार्ग/हल्का वाहन मार्ग/वार्षिक अनुरक्षण के लिए प्राविधानित की जाय।

(iv) राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति, भूगर्भीय संरचना तथा वन एवं पर्यावरण के दृष्टिगत मार्ग से 100 मीटर की ऊर्ध्वाधर (Vertical) दूरी पर स्थित ग्राम को मोटर मार्ग से स्वतः ही संयोजित माना जाय।

(v) जिन ग्रामों/आबादियों को किसी न किसी मार्ग से सड़क संयोजकता पूर्व से ही सुलभ हो, उन ग्रामों/आबादियों को अतिरिक्त/दोहरी मार्ग संयोजकता सामान्यतः प्रदान न की जाय।

(vi) राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुये 05 किमी0 से अधिक लम्बाई के मोटर मार्गों को स्वीकृति हेतु द्वितीय चरण में प्रस्तावित न किया जाय, वरन् अधिक लम्बाई वाले ऐसे मोटर मार्गों को एक एक करके (One by one) विभिन्न चरणों में स्वीकृति प्रदान की जाय।

(vii) ऐसे मार्गों को, जो कि राज्य मार्ग या अन्य जिला मार्ग की श्रेणी में नहीं है तथा जिनमें प्रतिदिन यातायात 400 भारी वाहन से कम है, को बी.एम./एस.डी.बी.सी. द्वारा न किया जाय।

(viii) समस्त आबादी वाले भागों के मुख्य मार्गों में निर्माण हेतु edge to edge ब्लैक टॉप/इन्टरलॉकिंग सी0सी0 टाईल्स अथवा Brick on Edge तथा पक्की नाली निर्माण का प्राविधान अवश्य रखा जाय।

फोटो प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

क्रमशः

(ix) मुख्यमंत्री आन्तरिक सम्पर्क योजना के तहत 500 मी0 से अधिक लम्बाई एवं 4.25 मी0 से अधिक चौड़ाई के मोटर मार्गों तथा 20 मीटर से अधिक लम्बाई के सेतुओं के निर्माण हेतु मा0 विधायकों की प्राथमिकता वाले प्रस्तावों को लिया जायेगा। 02 लेन से कम चौड़ाई वाले मार्गों को सी0सी0 के स्थान पर इन्टरलॉकिंग टाईल्स से किया जाय, जो M-40 से कम नहीं होगी।

(x) MORTH के परिपत्र संख्या : NH-15017/28/2018-P&M दिनांक 23.03.2018 के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में 3000 PCUs प्रतिदिन से अधिक परन्तु 8000 PCUs से कम यातायात होने पर Intermediate lane(5.50 m) का प्राविधान, 10000 से अधिक PCUs यातायात होने पर 02 लेन अर्थात 07मी0 कैरिज वे का निर्माण एवं 10000 से अधिक PCUs तथा 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक Traffic Growth पर 07 मी0 कैरिज वे Paved Shoulder के साथ मार्ग निर्माण का प्राविधान किया जाय।

(xi) नये मोटर मार्गों के लिए सामान्य अनुरक्षण कार्यों हेतु कार्य समाप्ति के defect liability period सहित 03 वर्ष तक के लिये अनुबन्ध में ही यह प्राविधान कर दिया जाए कि मोटर मार्गों का अनुरक्षण भी सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा प्रथम वर्ष हेतु कुल लागत का 0.5 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष हेतु कुल लागत का 1.00 प्रतिशत तथा तृतीय वर्ष हेतु कुल लागत का 1.5 प्रतिशत की दरों पर किया जाय। इस अवधि में सामान्य अनुरक्षण मद से कोई धनराशि आवंटित नहीं की जायेगी।

(xii) पैदल/झूला सेतुओं के निर्माण में Carriage way की चौड़ाई 1.80 मी0 तक सीमित रखी जाय। ग्रामीण भागों में नदी पर 02 किमी0 से कम दूरी पर दूसरा सेतु निर्मित न किया जाय।

(xiii) सामान्यतः Single lane में निर्मित होने वाले Steel bridges के अन्तर्गत 57 मी0 स्पान तक Modular bridges का निर्माण किया जाय, जिन्हें कि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर Two lane अथवा किसी भी सीमा तक Multi lane में विस्तारित किया जा सके।

(xiv) प्रदेश में रू0 10.00 करोड़ से अधिक लागत तथा 60 मी0 से अधिक स्पान के सेतुओं को E.P.C. (Engineering Procurement Construction) Mode के माध्यम से करवाया जाय। विश्व बैंक परियोजनाओं के लिये यह प्राविधान उनकी सहमति पर ही लागू होंगे अन्यथा नहीं।

(xv) लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत ऐसे निर्माण कार्यों, जिनकी वनभूमि की स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने, स्थानीय स्तर पर विवाद होने या अन्य कारणों से श्रमिक/सामग्री की दरों में अत्यधिक वृद्धि होने के फलस्वरूप पूर्व स्वीकृत लागत में कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव न हो, की पुनरीक्षित स्वीकृति को प्राथमिकता प्रदान की जाय।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–378/XXVII/(2)/2018 दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव

फोटो प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0लो0नि0वि0
उत्तरकाशी

संलग्नक -3

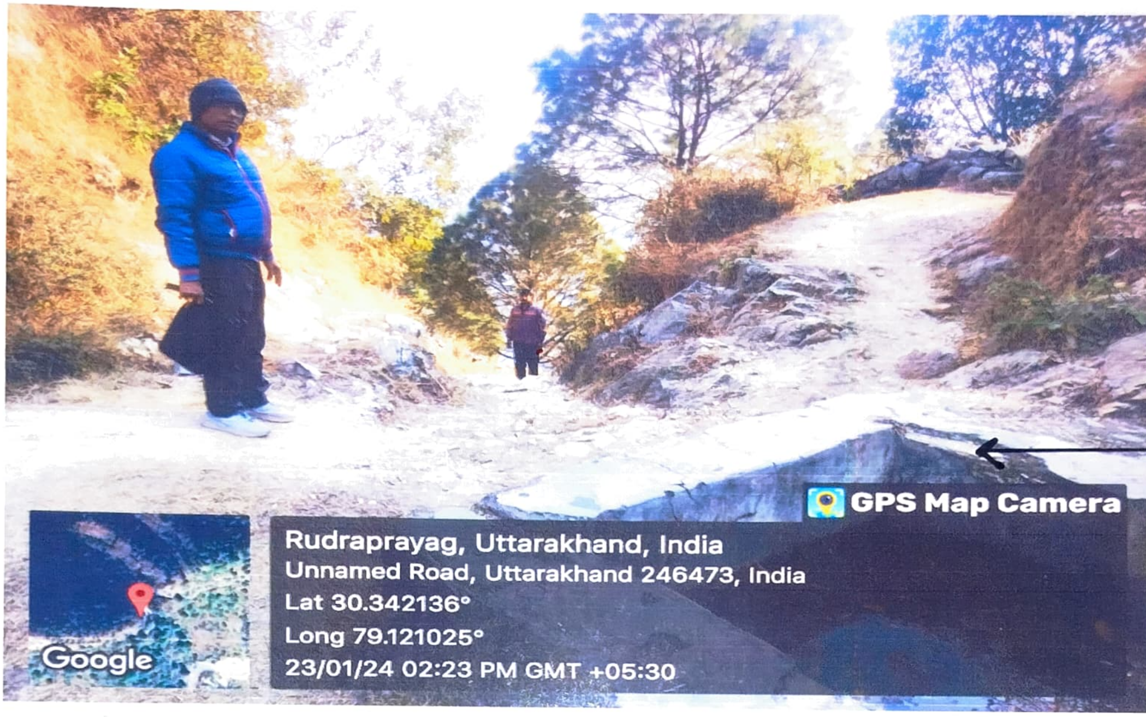

पानी चरी

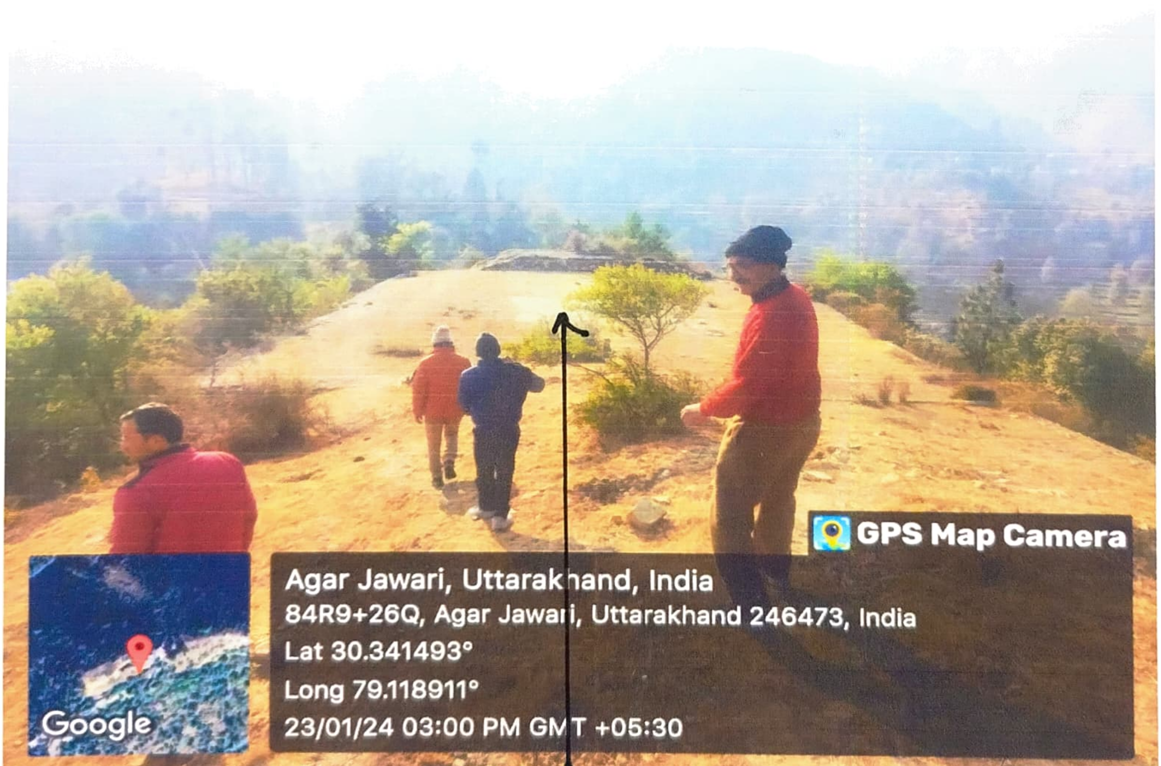

Temporary Helipad

(EE)

आवासीय भवन　　　　पंचायत घर, मंदिर, अस्थाई हैलीपैड

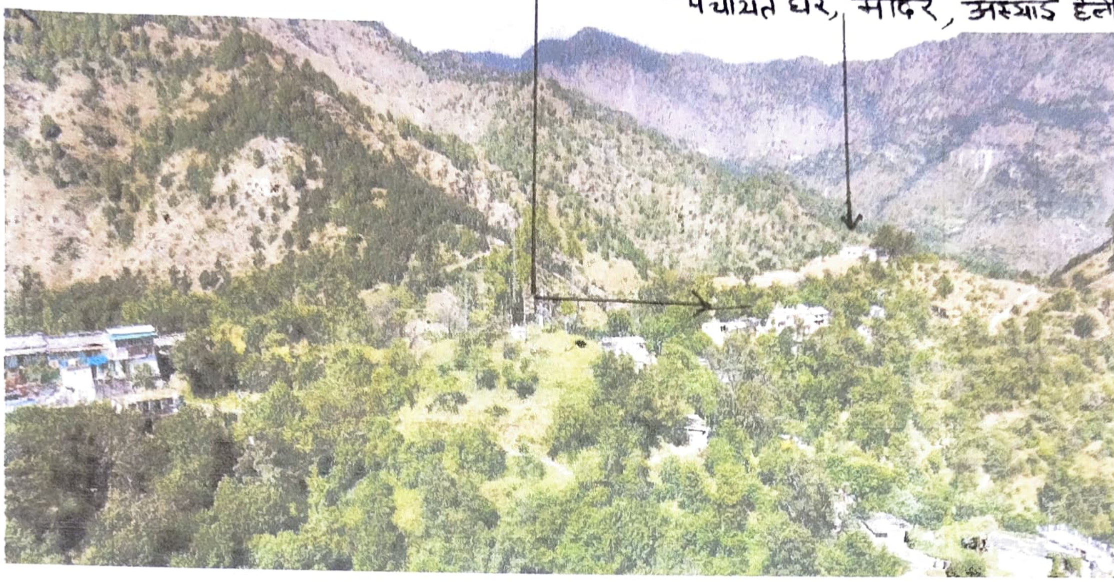

पंचायत घर, मंदिर

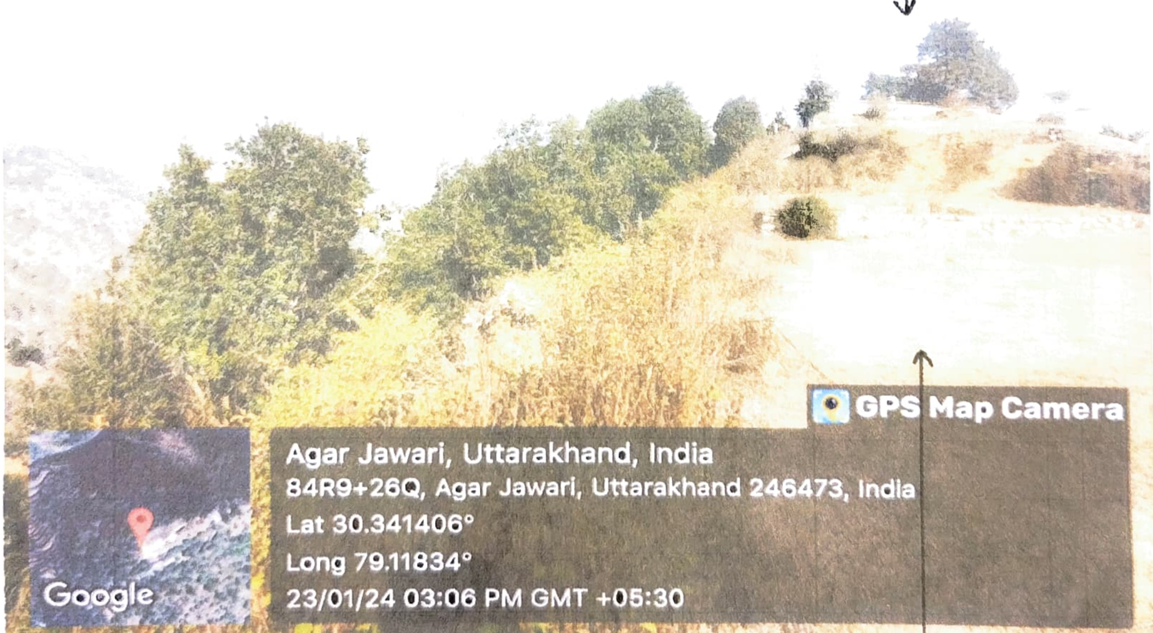

अस्थाई हैलीपैड

संलग्नक - 4

RIDGE

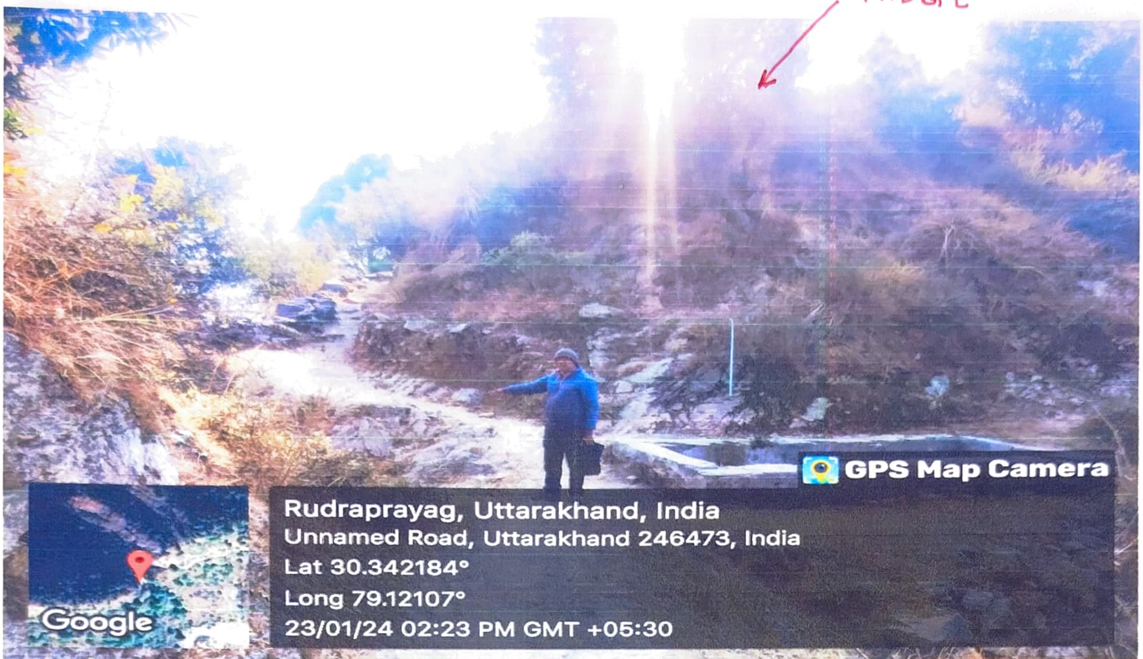

10.00 MTV VERTICAL HIGHT

PURPOSED ALIGMENT

(EE)